Reg No 177/2008-2009 ISSN: 2322–0317

PSSH PERSPECTIVE of SOCIAL SCIENCES and HUMANITIES

An International Multidisciplinary Refereed Research Journal

VOL 2, NO 2

JULY - DECEMBER 201

Biannual

Editor

Dr Hemant Kumar Singh

Assistant Professor

Economics Department

Madan Mohan Malviya PG College

Deoria (UP)

Publisher

Herambh Welfare Society

Varanasi (India)

भारतीय जीवन बीमा निगम का व्यावसायिक स्वरूप एवं विकास की संभावनाएँ

अमरेन्द्र कुमार यादव[1]

जीवन बीमा एक अनुबन्ध है, जीवन बीमा मानव जीवन से जुड़ी आपात स्थितियों के लिए जिसके अन्तर्गत एक पक्षकार को या दूसरे पक्षकार के हिताधिकारी को मृत्यु, विकलागंता, दुर्घटना, सेवानिवृत्ति आदि के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, या करने का वचन देता है। मानव जीवन प्राकृतिक दुर्घटना के कारणों से मृत्यु और विकंलागता के जोखिमों के अधीन होता है। जब मानव की मृत्यु होती है या व्यक्ति स्थाई या अस्थायी रूप से विकलांग होता है, तो परिवार को आमदनी का नुकसान होता है। यद्यपि मानव जीवन का मूल्य नही लगाया जा सकता, परन्तु भावी वर्षो में आय की हानि के आधार पर एक धनराशि निर्धारित की जा सकती है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम के व्यावसायिक स्वरूप का विवरण प्रस्तुत करने के साथ ही यह बताया गया है कि निजीकरण एवं उदारीकरण के कारण जीवन बीमा के व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा बढ गयी है। इस बात की आवश्यकता है कि जीवन बीमा के क्षेत्र में सुदृढ एवं कुशल सेवाएं देने की जरूरत है, तभी सफलता प्राप्त किया जा सकता है।

वर्तमान समय में जैसे–जैसे लोग जीवन बीमा एवं विभिन्न प्रकार के जोखिमों से सुरक्षा के प्रति जागरूक हो रहे है, वैसे–वैसे नये–नये स्वरूपों में बीमे सामने आ रहे है। जैसा कि बीमा के विभिन्न प्रकार जैसे अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, विविध बीमा, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, गारण्टी बीमा, सम्पत्ति बीमा, वैधानिक दायित्व बीमा, इत्यादि अनेक प्रकार के बीमों में से एक जीवन बीमा विभिन्न अनिश्चितता एवं जोखिम से भरा हुआ है। वैसे तो इन जोखिमों को टाला नहीं जा सकता अपितु इन्हे व्यवस्थित स्वरूप दिया जा सकता है, जिससे कि इन अनिश्चितताओं से बचा जा सके और साथ ही साथ इनके खतरों से भी बचा जा सके। जीवन है तो खतरे भी हैं और अनिश्चितताएं भी हैं। जीवन की अनिश्चितताओं से जुड़ी अनेक हानियों से बचने के लिए ही जीवन बीमा के उपाय को सुझाया गया है। वस्तुतः जीवन बीमा एक अनुबन्ध है, जिसके अन्तर्गत् एक पक्षकार (बीमाकर्ता) एक निश्चित प्रतिफल (राशि) के बदले में दूसरे पक्षकार (बीमित) को मृत्यु, विकलांगता या अन्य किसी भी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर एक निर्धारित राशि देने का वचन देता

[1] **शोध छात्र, वाणिज्य विभाग, दी.द.उ.गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर**

है।[1]

भारत में जीवन बीमा व्यवसाय की शुरूआत ब्रिटिश काल से मानी जाती है। सन् 1818 में 'ओरिएण्टल लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी नें सर्वप्रथम कलकत्ता में जीवन बीमा व्यवसाय की शुरूआत की यह एक यूरोपियन कम्पनी थी। इसके बाद क्रमशः 1823, 1829 में बाम्बे लाइफ इंश्योरेंश कम्पनी एवं मद्रास इक्वीटेबल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी की स्थापना की गयी। सन् 1870 तक अनेक छोटी–छोटी जीवन बीमा कम्पनियों नें अपना व्यवसाय भारत में प्रारम्भ कर दिया था। वे कम्पनियां अधिक सफल नहीं रहीं और उनमें से अधिकतर छोटी कम्पनियां बड़ी कम्पनियों में समामेलित होती चली गयी। सन् 1871 एवं 1874 में क्रमशः बाम्बे म्यूचल तथा ओरिएटल नामक भारतीय कम्पनियों ने जीवन बीमा के व्यवसाय को प्रारम्भ किया उसके उपरान्त ही भारत में जीवन बीमा का व्यवसाय बड़े ही तीव्रगति से बढ़ने लगा।

सन् 1956 को भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसका उद्देश्य जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करना था। अध्यादेश जारी होने के फलस्वरूप जीवन बीमा का व्यवसाय जो लगभग 245 निजी जीवन बीमा कम्पनियों द्वारा किया जाता था वह अब सरकार के नियत्रंण में आ गया। जून 1956 में लोकसभा ने भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 पारित किया। जो 1 जुलाई से लागू हुआ। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 1 सितम्बर से कार्य प्रारम्भ कर दिया।[2]

भारतीय जीवन बीमा निगम जीवन बीमा का व्यवसाय करता है। यह व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार के बीमायें करता है। किसी भी व्यवसायिक संस्था की प्रगति एवं व्यावसायिक स्वरूप उसके द्वारा किये गये व्यवसाय और प्राप्त आय से प्रदर्शित होती है।

भारतीय जीवन बीमा निगम का समूह बीमा व्यवसाय

समूह बीमा एक व्यक्ति का बीमा नहीं है, बल्कि यह व्यक्तियों के समूह का बीमा है। समूह बीमा में न्यूनतम 10 सदस्य तथा अधिकतम सदस्य संख्या पर निगम द्वारा कोई प्रतिबन्ध नही है।

समूह बीमा में प्रीमियम का भुगतान समूह के प्रत्येक सदस्य आपस में करते हैं। सामान्यतः समूह बीमा संगठन/सोसाइटी के सदस्यों एवं कर्मचारियों का होता है। पिछले कुछ वर्षो से भारतीय जीवन बीमा निगम को होने वाली आय की जानकारी तालिका संख्या 1 में दी गयी है।

[1] नौलखा डॉ0 आर.एल. (05–06) बीमा के तत्व, पृष्ठ संख्या 1–5

[2] श्रीवास्तव बालचन्द्र, 1987, बीम के तत्व, साहित्य भवन, आगरा

भारतीय जीवन बीमा निगम का समूह बीमा का व्यवसाय

तालिका संख्या 1

लेखा वर्ष	नव व्यवसाय			चालू व्यवसाय		
	पोलियों की संख्या	बीमा धारकों की संख्या (लाखों में)	बीमाधन (करोड़ में)	पालियों की संख्या	बीमा धारकों की संख्या (लाखों में)	बीमाधन (करोड़ में)
2005–06	18033	113.97	177317.32	109995	302.71	199427.16
2006–07	20434	140.38	152864.62	111729	405.95	322042
2007–08	22113	262.88	67784.93	128840	494.83	306711.77
2008–09	20771	311.83	75256.5	121027	623.90	417243.60

भारतीय जीवन बीमा निगम का व्यक्तिगत बीमा व्यवसाय

व्यक्तिगत बीमा, व्यक्ति विशेष के जीवन का बीमा कहलाता है। इसका लाभ केवल व्यक्ति विशेष को प्राप्त होता है। इसमें प्रत्यक्ष अनुबन्ध होता है। व्यक्तिगत बीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति बीमा करा सकता है और प्रीमियम को भुगतान किस्तों में या एक मुश्त किसी भी प्रकार कर सकता है। व्यक्ति चाहे जितनी रकम का बीमा चाहता है, वह उतनी रकम का बीमा करा सकता है। व्यक्तिगत बीमा से जीवन बीमा का निगम को होने वाली आय का निम्न तालिका से समझ सकते हैं।

तालिका संख्या 2

लेखा वर्ष	नव व्यवसाय			चालू व्यवसाय		
	सख्या	धनराशि	वार्षिक प्रीमियम	सख्या	धनराशि	वार्षिक प्रीमियम
2009–10	31459382	397157.64	20970.79	22615887	2063791.1	104776.2
2010–11	31459382	444031.9	23614.07	24048433	2334453.9	119770.5
2011–12	34617089	497229.06	256225.8	255946155	2676009.6	135256.1
–	–	–	–	–	–	–

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गये विनियोग

भारतीय जीवन बीमा निगम के विनियोग (करोड़ में)

विनियोग क्षेत्र	2010–11	2011–12	2012–13
1. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में।	407934	441760	470254
2. राज्य सरकार की विपणनीय प्रतिभूतियों मे।	176213	213913	261852
3. विद्युत।	80165	86880	93317
4. आवास।	43297	41067	46276
5. जल आपूर्ति।	4265	3774	3388
6. राज्य सड़क परिवहन।	9819	10494	11208

पंचवर्षीय योजनाओं में भारतीय जीवन बीमा निगम के विनियोग

पंचवर्षीय योजना	काल	सकल कुल विनियोग (करोड़ में)
द्वितीय	1956–1961	184
तृतीय	1961–1966	285
चतुर्थ	1969–1974	1530
पंचम	1974–1979	2942
छठवीं	1980–1985	7140
सातवीं	1985–1990	12969
आठवीं	1992–1997	56097
नौवी	1997–2002	170929
दसवी	2002–2007	394779
ग्यारहवीं	2007–2012	704151
बारहवीं	2012–2017	183988

भारतीय जीवन बीमा निगम का 1959 से 1999 का विकास[1]

भारतीय जीवन बीमा निगम ने राष्ट्रीयकरण के लक्ष्यों को पूरा करने में अपनी स्थिति को मजबूती के साथ प्रस्तुत किया है।

जीवन बीमा व्यवसाय के विकास की सम्भावनाएं विश्व में सबसे अधिक भारत में दिख रही है, क्योंकि भारत वर्ष में अरबों की जनसंख्या निवास कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा से सम्बन्धित जागरूकता का प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है तथा जो कुछ बुनियादी ढाँचों की कमी है। उस कमी को पूरा करना होगा।

निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों को उचित सुवधिाएं उपलब्ध कराया जाय जिससे कि वे आज इन्टरनेट के युग में अपनी बीमा से सम्बन्धित समस्त जानकारी घर बैठे प्राप्त कर ले। यह उपाय मुख्य रूप से मितव्ययी होना चाहिए। ग्राहकों की वित्तीय स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। निगम के अधिकारी एवं अभिकर्ता ग्रामीण जनता के घर जाकर पालिसी के लाभों को बतलाएं। उनके कम ज्ञान और डर को दूर करें तथा पालिसी लेनें के लिए प्रेरित करें। निगम को समय–समय पर शैक्षणिक रूप में प्रचार माध्यमों का सहारा लेना चाहिए। शाखाओं की संख्या प्रत्येक गॉव तक फैलाई जायें। बीमा से सम्बन्धित भ्रातियों को दूर किया जाय और बीमा सेवा का लाभ समुचित रूप से उपलब्ध कराया जाय।